

बुद्ध और भीमराव अंबेडकर: विचारों का सामाजिक और दार्शनिक समन्वय

डॉ.अजीत कुमार राव*डॉ. प्रशान्त कुमार**

* सहायक आचार्य, इतिहास विभाग हर्ष विद्या मंदिर पी.जी. कॉलेज, रायसी, हरिद्वार

** आचार्य, इतिहास विभाग हर्ष विद्या मंदिर पी.जी. कॉलेज, रायसी, हरिद्वार

शोध सार:

बुद्ध और डॉ. भीमराव अंबेडकर का दार्शनिक एवं सामाजिक चिंतन भारत के सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समन्वय प्रस्तुत करता है। बुद्ध का धम्म मुख्यतः मनुष्य के नैतिक, तर्कसंगत और सामाजिक विकास पर आधारित था। उनका शिक्षण व्यक्तिगत आत्मसुधार के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव और समानता की दिशा में था। उन्होंने जाति, संपत्ति या सामाजिक पद के आधार पर भेदभाव को नकारते हुए समतामूलक समाज की परिकल्पना दी। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन और चिंतन में बुद्ध के विचारों को आधुनिक सामाजिक न्याय के रूप में स्वीकार किया। उनका मानना था कि भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए बौद्ध सिद्धांतों की नैतिक और तर्कसंगत दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को शामिल किया, जिन्हें उन्होंने बुद्ध के

धम्म से प्रेरित बताया। बुद्ध और अंबेडकर दोनों का चिंतन समाज सुधार और मानवाधिकार के क्षेत्र में तर्क और नैतिकता को प्राथमिकता देता है। जहाँ बुद्ध ने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नैतिक अनुशासन पर जोर दिया, वहीं अंबेडकर ने इसे संवैधानिक और राजनीतिक ढांचे में लागू करने का प्रयास किया। इस प्रकार, दोनों के विचार आधुनिक भारत में समानता और सामाजिक न्याय की नींव रखने वाले आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

बीज शब्द—बुद्ध, भीमराव अंबेडकर, धम्म, समानता, सामाजिक न्याय, जाति-विरोध, नैतिकता, लोकतंत्र।

परिचय— भारतीय सभ्यता के इतिहास में सामाजिक चेतना, नैतिकता और समता के विचार को दो महापुरुषों ने सबसे अधिक गहराई और व्यावहारिकता के साथ प्रस्तुत किया— भगवान गौतम बुद्ध और डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर दोनों युगों में भिन्न होने के बावजूद इन दोनों विचारकों ने समाज में व्याप्त असमानता, वर्ण-व्यवस्था, और मनुष्य की गरिमा के अपमान के विरुद्ध समान संघर्ष किया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ-याग, और जाति के नाम पर सामाजिक विभाजन चरम पर था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने समाज को चार वर्णों में बाँट दिया था— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—जिनमें अंतिम वर्ग सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित था। इसी अन्यायपूर्ण परिस्थिति में गौतम बुद्ध (563-483 ई.पू.) ने धम्म का प्रतिपादन किया और मनुष्य को कर्म, करुणा और प्रज्ञा के आधार पर मूल्यांकित करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा— “न जाति से ब्राह्मण होता है, न जाति से शूद्रय कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है।” (धम्मपद, श्लोक 393, पाली टेक्स्ट सोसाइटी संस्करण, पृ. 212) बुद्ध ने समाज में समानता और बंधुत्व की भावना के साथ एक ऐसी नैतिक क्रांति की शुरुआत की जो आगे चलकर भारतीय मानवतावाद की नींव बनी। उनके संघ में सभी वर्णों, स्त्री-पुरुषों और सामाजिक स्तरों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे— यह प्राचीन भारत के पहले लोकतांत्रिक संगठनों में से एक

Corresponding author email: dudeajit009@gmail.com

Published online-17 January 2026

था। डॉ. अंबेडकर ने इसे "सामाजिक लोकतंत्र" का प्रथम उदाहरण" बताया। (द बुद्ध एंड हिज धम्मा, पृ. 98)

इसी प्रकार, उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के भारत में सामाजिक असमानता का वही रूप जाति-व्यवस्था, अस्पृश्यता, और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के रूप में दिखाई देता है। इस दौर में डॉ. भीमराव अंबेडकर (1891-1956) का उदय होता है - जिन्होंने बुद्ध के विचारों को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित किया। उन्होंने पाया कि भारतीय समाज का असली रोग "असमानता" है, और इसका एकमात्र उपचार "धम्म" अर्थात् नैतिक और सामाजिक क्रांति है। अंबेडकर ने अपने जीवनभर यह कहा कि हिंदू धर्म की परंपरा मनुष्य की समानता को अस्वीकार करती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा- "हिंदू धर्म नियमों का धर्म है, जबकि बौद्ध धर्म सिद्धांतों का धर्म है।" (द बुद्ध एंड हिज धम्मा, 1957, पृ. 121) उन्होंने बुद्ध के धम्म को आधुनिक सामाजिक न्याय और संविधान की आत्मा माना। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जब अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी जातिगत अन्याय-प्रथा के विरुद्ध एक सामाजिक क्रांति थी। अंबेडकर का दृष्टिकोण केवल दार्शनिक नहीं बल्कि व्यवहारिक था। उन्होंने बुद्ध के त्रिरत्न- बुद्ध, धम्म, संघ को सामाजिक संगठन और आत्मबल के प्रतीक के रूप में अपनाया। उनके लिए बौद्ध धर्म केवल आध्यात्मिक मुक्ति का नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और मानव गरिमा की प्राप्ति का मार्ग था। बुद्ध ने "अष्टांगिक मार्ग" द्वारा व्यक्ति को आंतरिक शुद्धि की शिक्षा दी, जबकि अंबेडकर ने "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो" का नारा देकर बाह्य सामाजिक परिवर्तन की दिशा दिखाई। इस प्रकार दोनों का उद्देश्य - "मानव मुक्ति"- एक ही था, यद्यपि मार्ग भिन्न थे।

डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा - "मेरी सोशल फिलॉसफी को तीन शब्दों में बताया जा सकता है: आजादी, समानता, भाईचारा।" (संविधान सभा की बहस, वॉल्यूम XI पेज 979) ये तीनों आदर्श बुद्ध के धम्म से प्रेरित हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बुद्ध ने जिस सामाजिक समानता की चेतना जगाई थी, उसे डॉ. अंबेडकर ने आधुनिक लोकतांत्रिक रूप में पुनःस्थापित किया। बुद्ध और अंबेडकर के विचारों

का यह समन्वय केवल भारतीय समाज की दिशा नहीं बदलता, बल्कि समस्त विश्व के लिए मानवता, नैतिकता और समानता पर आधारित जीवन-दर्शन प्रस्तुत करता है। यह शोधपत्र इसी ऐतिहासिक और वैचारिक समन्वय का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है कृ कि किस प्रकार बुद्ध के धम्म और अंबेडकर के सामाजिक दर्शन ने मिलकर भारत में मानव-मुक्ति की प्रक्रिया को दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर सशक्त किया।

विधि तंत्र - प्रस्तुत शोध पत्र में आंकड़ों का संगलन द्वितीय स्रोतों के माध्यम से किया गया है द्वितीय आंकड़ों का संकलन शोध पत्र समाचार पत्र पत्रिका आदि से किया गया है।

उद्देश्य-

1. बुद्ध और भीमराव अंबेडकर: विचारों का सामाजिक और दार्शनिक समन्वय का अध्ययन करना।
2. बुद्ध और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण करना।

बुद्ध का सामाजिक और दार्शनिक दर्शन

गौतम बुद्ध का दर्शन भारतीय बौद्धिक परंपरा में एक मानवतावादी क्रांति के रूप में उभरा। बुद्ध ने धर्म को आस्था या चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव, तर्क, और नैतिक आचरण के रूप में परिभाषित किया। उनका धम्म किसी दैवी सत्ता पर नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना, करुणा, और विवेक पर आधारित था। इस भाग में बौद्ध दर्शन की वैचारिक नींव, सामाजिक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य, और उसके आधुनिक प्रासंगिक पक्षों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, साथ ही प्रमाणिक उद्धरण दिए गए हैं। सामाजिक संदर्भ बुद्ध का युग वह समय था जब भारत में ब्राह्मणवाद का आधिपत्य चरम पर था। यज्ञ, कर्मकांड और जाति के नाम पर सामाजिक असमानता स्थापित हो चुकी थी। बुद्ध ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने कहा - "न जाति से मनुष्य ब्राह्मण होता है, न जाति से शूद्रय कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है।" (धम्मपद, श्लोक 393, पाली टेक्स्ट सोसाइटी संस्करण, पृ. 212) इस वचन के माध्यम से बुद्ध ने उस सामाजिक व्यवस्था को नकार दिया जिसमें व्यक्ति की स्थिति जन्म से तय होती थी। उनके विचारों में समानता और बंधुत्व का स्पष्ट

प्रतिपादन है। उनका संघ भारतीय इतिहास में पहला ऐसा संगठन था जहाँ कोई जाति, लिंग या वर्ग का भेद नहीं था। इसमें अमात्यसे लेकर चांडाल तक – सभी को प्रवेश की अनुमति थी। डॉ. अंबेडकर ने इसे “मानव इतिहास का पहला सामाजिक लोकतंत्र” कहा। (द बुद्ध एंड हिज धम्मा, 1957, पृ. 98) बुद्ध ने समाज में स्त्रियों को समान अधिकार दिए। उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की— जो उस युग में अत्यंत क्रांतिकारी कदम था। बुद्ध के अनुसार, “स्त्री भी पुरुष की तरह प्रज्ञा और निर्वाण की अधिकारी है।” (अंगुत्तर निकाय, वॉल्यूम IV, पृ. 280) यह विचार अंबेडकर की स्त्री-समता की अवधारणा से गहराई से जुड़ा है। दोनों ने स्त्रियों को शिक्षा और सामाजिक भागीदारी का अधिकार दिया। नैतिक दर्शन बुद्ध का धर्म नैतिकता और करुणा पर आधारित है। उनके अनुसार, समाज में शांति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर अहिंसा, संयम, और सत्य का पालन करे। उन्होंने कहा – “सभी प्राणी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता जो अपने लिए दुख नहीं चाहता, वह दूसरों को भी दुख न दे।” (मज्झिमा निकाय, वॉल्यूम I, पाली टेक्स्ट सोसाइटी संस्करण, पृ. 112) यह कथन बौद्ध नैतिकता की जड़ है जहाँ करुणा को सार्वभौमिक मूल्य के रूप में स्थापित किया गया। बुद्ध के त्रिशिक्षा सिद्धांत कृशील, समाधि, प्रज्ञा इन तीनों के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों की शुद्धि का मार्ग दिखाया। बुद्ध का समाज-स्वप्न ऐसा था जहाँ कानून से नहीं, बल्कि नैतिकता से शासन हो। उन्होंने कहा कृ “धम्मो हवे रक्कति धम्मचारिणं।” (“धम्म ही धर्माचारी की रक्षा करता है।” (धम्मपद, श्लोक 256, च. 314) यह विचार आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में भी उतना ही प्रासंगिक है। अंबेडकर ने इसी को संविधान के नैतिक आदर्शों का मूल माना (राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 11, पृ. 79)।

दार्शनिक दृष्टि बुद्ध का दर्शन “मध्यम मार्ग” पर आधारित है अर्थात् न तो भोगवाद की चरम सीमा, न ही तप या आत्मपीडन का अत्याचार। उन्होंने कहा – “एतं संखत्तं मध्यमं पथं बुद्धेन देशितं कृ यो दुःखं निहनति।” (संयुक्त निकाय, वॉल्यूम V, पृ. 420) अर्थात्, “यह वह मध्यम मार्ग है जो दुःख का नाश करता है।” बुद्ध का सबसे मौलिक दार्शनिक योगदान था— प्रतित्यसमुत्पाद। उन्होंने कहा कि संसार में

कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक वस्तु किसी अन्य कारण से उत्पन्न होती है “इदं अस्ति तस्मिं अस्ति, इदं नास्ति तस्मिं नास्ति।” (संयुक्त निकाय, वॉल्यूम II पृ. 28) यह सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी लागू होता है— यानी किसी व्यक्ति की अवस्था उसके कर्मों और परिस्थितियों का परिणाम है, न कि जाति या जन्म का। इस प्रकार बुद्ध का दर्शन केवल अध्यात्म या मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, तर्क, करुणा और सामाजिक समानता का ऐसा समग्र दृष्टिकोण है जो व्यक्ति और समाज दोनों को रूपांतरित करता है। उनके विचारों ने भारतीय संस्कृति को ब्राह्मणवादी परंपरा से निकालकर मानववादी नैतिकता की दिशा में अग्रसर किये। डॉ. अंबेडकर ने इसी कारण बुद्ध को “समानता और तर्क का महानतम शिक्षक” कहा (राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 11, पृ. 75)। बुद्ध के सामाजिक और दार्शनिक चिंतन ने भारतीय समाज को एक धर्म-आधारित सत्ता से नैतिकता-आधारित समाज की ओर अग्रसर किया— यही दृष्टि आगे चलकर डॉ. अंबेडकर की सामाजिक क्रांति की प्रेरणा बनी।

बुद्ध के दर्शन की नींव चार आर्य सत्यों पर टिकी है: दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा इन सत्यों ने बौद्ध दर्शन को मानव अनुभव से जोड़ा। दुःख का कारण तृष्णा और अज्ञान बताया गया, और इसका निवारण प्रज्ञा तथा सम्यक आचरण में खोजा गया। बुद्ध ने व्यक्ति और समाज दोनों के नैतिक सुधार के लिए अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया, जिसमें आठ अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास, सम्यक समाधि यह मार्ग किसी धार्मिक विधि का नहीं बल्कि एक नैतिक अनुशासन का मार्ग है। अंबेडकर ने कहा था – “अष्टांग मार्ग नैतिक आधारों पर मानव समाज को पुनर्निर्मित करने का मार्ग है।” (द बुद्ध एंड हिज धम्मा, 1957, पृ. 105)

अंबेडकर और बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर (1891–1956) ने आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण का कार्य किया। वे केवल धर्म-परिवर्तक नहीं थे, बल्कि उन्होंने बुद्ध के विचारों को आधुनिक

सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मूल आधार के रूप में पुनर्परिभाषित किया। अंबेडकर का बौद्ध धर्म केवल धार्मिक विकल्प नहीं था कृ वह सामाजिक क्रांति का दार्शनिक और नैतिक आयाम था। उन्होंने बुद्ध को उस वैचारिक गुरु के रूप में देखा, जिसने मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया का मार्ग दिखाया। डॉ. अंबेडकर का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव जीवन के प्रारंभिक चरण में ही दिखाई देता है। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय (1913-1916) में रहते हुए बौद्ध धर्म का अध्ययन प्रारंभ किया था। उनकी पहली गंभीर टिप्पणी "द बुद्ध एंड हिज धम्मा" (1957) में स्पष्ट रूप से मिलती है, जिसमें वे लिखते हैं "मेरी सामाजिक दर्शनशास्त्र को तीन शब्दों में समेटा जा सकता है: स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। मेरा आदर्श समाज उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, जो बुद्ध के धम्म में निहित हैं।"

(द बुद्ध एंड हिज धम्मा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एडिशन, 1957, पृ. 213) इस कथन से स्पष्ट है कि अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को सामाजिक मुक्ति का साधन माना - न कि केवल आध्यात्मिक मार्ग।

बौद्ध धर्म का चयन और जाति-विरोधी दर्शन- डॉ. अंबेडकर ने 1935 में यवला सम्मेलन में घोषणा की थी - "मैं हिंदू जन्मा, लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा।" (डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकररू राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 5, पृ. 274) यह कथन उस मानसिक विद्रोह का प्रतीक था जो उन्होंने ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के विरुद्ध किया। उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए कहा- "हिंदू धर्म नियमों का धर्म है, बौद्ध धर्म सिद्धांतों का धर्म है।" (राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 3, पृ. 453) अंबेडकर ने बुद्ध के प्रज्ञा, करुणा और समता को सामाजिक पुनर्गठन का आधार माना।

बौद्ध दर्शन का आधुनिक व्याख्यान 1957 में प्रकाशित अंबेडकर की कृति "द बुद्ध एंड हिज धम्मा" को आधुनिक काल में बौद्ध धर्म का नया संविधान कहा जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने बौद्ध धर्म को धार्मिक अनुभव से अधिक सामाजिक नैतिकता का सिद्धांत बताया। अंबेडकर लिखते हैं - "द धम्मा ऑफ द बुद्ध इज नॉट अ मैटर ऑफ बिलीफय इट इज अ वे ऑफ लाइफ गाइडेड बाय रीजन एंड मॉरालिटी।" (द बुद्ध एंड हिज धम्मा, 1957, पृ. 45) उन्होंने बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को समाज के पुनर्गठन का आधार बताया

और कहा- "द बुद्धस धम्मा इज अ सोशल गॉस्पेल फॉर मैनकाइंड।" (इबिड., पृ. 112) अंबेडकर ने बुद्ध के दर्शन को "धर्म का सामाजिक रूप" कहा, जो व्यक्ति की मुक्ति को समाज की मुक्ति से जोड़ता है।

14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में डॉ. अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया।

यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत के सामाजिक इतिहास का निर्णायक मोड़ था। दीक्षा के समय उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ दिलाईं, जिनमें सबसे प्रमुख थीं: "मैं ब्राह्मणों द्वारा रचित हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ।" "मैं बुद्ध, धम्म और संघ को स्वीकार करता हूँ।"

(राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 17, पार्ट II पृ. 442) यह समारोह नवयान बौद्ध आंदोलन का प्रारंभ था।

अंबेडकर ने इसे "बुद्ध का पुनर्जन्म" कहा। उन्होंने कहा "बौद्ध धर्म को अपनाकर हम अपने पूर्वजों के धर्म की ओर लौट रहे हैं।"

(राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खण्ड 17, पृ. 447) नवयान का अर्थ था- बुद्ध का नया यान- जिसमें ध्यान, भिक्षा, या मोक्ष से अधिक सामाजिक समानता और न्याय पर बल दिया गया।

अंबेडकर का धम्म: सामाजिक लोकतंत्र की नींव

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक समाज में सामाजिक और नैतिक लोकतंत्र स्थापित न हो। उन्होंने संसद में कहा था - "राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो।" (संविधान सभा वाद-विवाद, खण्ड XI पृ. 979) उन्होंने बुद्ध के सम्यक दृष्टि को आधुनिक समाज के "रेशनल स्पिरिट" के रूप में देखा। उनका धम्म न्याय, समानता, और बंधुत्व की वह त्रयी है जो लोकतंत्र की आत्मा बन गई। अंबेडकर के अनुसार - "धम्म धर्मनिष्ठा है और केवल धर्मनिष्ठा ही एक अच्छे समाज की नींव है।" (द बुद्ध एंड हिज धम्मा, 1957, पृ. 125) इस दृष्टि से बौद्ध धर्म केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि नैतिक राजनीति का मार्ग बन गया।

अंबेडकर के बौद्ध पुनरुत्थान का प्रभाव भारत के सामाजिक ढाँचे पर गहरा पड़ा। दलित समुदायों

में स्वाभिमान और आत्मसम्मान की चेतना उत्पन्न हुई। शिक्षा, स्त्री-सशक्तिकरण, और सामाजिक सुधार की दिशा में नए आंदोलन खड़े हुए। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, और बिहार में "नवयान बौद्ध" पहचान एक समानता के प्रतीक के रूप में उभरी। प्रो. एलिनॉर जेलिओट लिखती हैं – "अंबेडकर का धर्मांतरण एक जन आंदोलन था, जिसने बौद्ध धर्म को सामाजिक विरोध और मुक्ति के धर्म के रूप में पुनः परिभाषित किया।" (फ्रॉम अनटचबल टू दलितरू एस्सेज ऑन द अंबेडकर मूवमेंट, 1992, पृ. 167)

अंबेडकर ने बुद्ध के विचारों को आधुनिक समाज के अनुरूप व्याख्यायित किया।

जहाँ बुद्ध ने दुःख और तृष्णा के निवारण की बात की, वहीं अंबेडकर ने सामाजिक दुःख के निवारण को लक्ष्य बनाया।

दोनों के दर्शन का मूल उद्देश्य मनुष्य की मुक्ति था। इस प्रकार अंबेडकर का बौद्ध धर्म, बुद्ध के धर्म का सामाजिक विस्तार था कृ जिसने धर्म को समाज सुधार का औजार बना दिया। "बुद्ध मानव के मन को बदलना चाहते थे मैं मनुष्य और समाज की संरचना दोनों को बदलना चाहता हूँ।" (राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खण्ड 13, पृ. 223) अंबेडकर ने बुद्ध के धर्म को केवल पुनर्जीवित नहीं किया, बल्कि उसे आधुनिक युग के लिए पुनर्निर्मित किया। उनका बौद्ध धर्म मानवता, समानता, और करुणा का धर्म था कृ न कि अनुष्ठान या चमत्कार का। उन्होंने बुद्ध के धम्म को आधुनिक भारत के सामाजिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनाया। "बुद्ध ने मानवता को एक सामाजिक संदेश दिया, और मैंने उसे केवल अपने लोगों के लिए पुनर्व्याख्यायित किया है।" (द बुद्ध एंड हिज धम्मा, 1957, पृ. 315) अतः, डॉ. अंबेडकर के माध्यम से बुद्ध का दर्शन केवल ग्रंथों से निकलकर समाज की चेतना में प्रवाहित हुआ—

जिसने आधुनिक भारत में धर्म को नैतिकता और समानता की भाषा में पुनर्परिभाषित किया।

बुद्ध और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण

गौतम बुद्ध और डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज-चिंतन की दो महान विभूतियाँ हैं, जिन्होंने धर्म और दर्शन को मानव-मुक्ति का साधन माना। यद्यपि बुद्ध का काल (छठी शताब्दी ई.पू.) और अंबेडकर का काल (बीसवीं

शताब्दी ई.) एक-दूसरे से लगभग ढाई हजार वर्ष पृथक है, फिर भी दोनों की वैचारिक दृष्टि में गहरी मानवतावादी समानता दृष्टिगोचर होती है। डॉ. अंबेडकर ने बुद्ध को "समानता, तर्क और करुणा का महानतम शिक्षक" कहा है (डॉ. बाबासाहेब अंबेडकररू राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खण्ड 11, पृ. 75)। बुद्ध ने जन्म-आधारित सामाजिक विषमता को अस्वीकार करते हुए कहा— "मनुष्य जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ब्राह्मण या अब्राह्मण होता है" (धम्मपद, श्लोक 393, चै संस्करण, पृ. 212), जबकि अंबेडकर ने इसी विचार को जाति का विनाश (1936) में यह कहकर आधुनिक संदर्भ दिया कि "जाति श्रम का विभाजन नहीं है यह श्रमिकों का विभाजन है" (राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खण्ड 1, पृ. 47)। बुद्ध के दर्शन का केंद्र करुणा और मानवतावाद है— "सभी प्राणी सुखी हों, शत्रुतामुक्त हों" (सुत्त निपात, पृ. 145)—जिसे अंबेडकर ने सामाजिक नीति का आधार बनाते हुए कहा कि उनका दर्शन बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, जहाँ करुणा और तर्क समाज की नींव हैं (द बुद्ध एंड हिज धम्म, 1957, पृ. 213)। बुद्ध द्वारा धर्म को नैतिक आचरण के रूप में परिभाषित किया गया कृ "धर्म ही धर्माचारी की रक्षा करता है" (धम्मपद, श्लोक 256, पृ. 314)—और अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि धर्म का मूल्यांकन सामाजिक मानकों से होना चाहिए, न कि दैवी अधिकार से (राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खण्ड 3, पृ. 452)। दोनों ने तर्क और स्वतंत्र विचार पर बल दिया बुद्ध का कथन कृ "स्वयं को दीपक बनाओ" (महापरिनिब्बान सुत्त, दीघ निकाय, खण्ड 4, पृ. 100)—और अंबेडकर का मत कृ "मन का संवर्धन मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए" (राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खण्ड 1, पृ. 64)—इसी तर्कशील परंपरा को पुष्ट करते हैं।

बुद्ध और अंबेडकर दोनों ने स्त्री-समानता, लोकतंत्र और मुक्ति की अवधारणा को अपने-अपने युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश देकर सामाजिक पुनर्गठन की दिशा दिखाई— "जो स्त्रियाँ आचार और शिक्षा में प्रवृत्त होती हैं, वे कल्याणिनी होती हैं" (अङ्गुत्तर निकाय, खण्ड 4, पृ. 280), जबकि अंबेडकर ने स्त्री-स्थिति को समाज की प्रगति का मापदंड बताया (राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खण्ड 1, पृ. 113)। बुद्ध का संघ समानता और सर्वसम्मति पर आधारित लोकतांत्रिक संस्था था— "भिक्षुओं

का विनय कार्य संघ की उपस्थिति और सर्वसम्मति से ही संपन्न होता है" (विनय पिटक, वॉल्यूम ५, पृ. 108)—जिसे अंबेडकर ने लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप कहा (द बुद्ध एंड हिज धम्म, 1957, पृ. 102)। जहाँ बुद्ध के लिए मुक्ति (निर्वाण) तृष्णा और अज्ञान से मुक्ति थीकृ" जो तृष्णा को त्यागता है, वह दुःख का अंत करता है" (संयुक्त निकाय, खण्डदृप्, पृ. 28)—वहीं अंबेडकर के लिए मुक्ति सामाजिक थीकृ "स्वतंत्रता का अर्थ जाति के दासत्व से मुक्ति है" (राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खण्ड—5, पृ. 281)। इस प्रकार दोनों का लक्ष्य एक ही थाकृदुःखनिरोध और मानव—गरिमा की स्थापना। अंबेडकर के शब्दों में, "बुद्ध ने मार्ग दिखायाय मैंने उस पर चलने का तरीका बताया है" (राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खण्डदृ17, भाग ५, पृ. 333)। बुद्ध का धम्म और अंबेडकर का सामाजिक दर्शन मिलकर भारतीय समाज में नैतिकता, विवेक और लोकतांत्रिक चेतना की सुदृढ़ आधारशिला रखते हैं।

निष्कर्ष

बुद्ध और भीमराव अंबेडकर के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन यह दर्शाता है कि दोनों ही चिंतक मानवता, नैतिकता और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। बुद्ध ने अपने समय में अन्याय, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध धम्म के रूप में करुणा, प्रज्ञा और समता का मार्ग प्रस्तुत किया, जबकि अंबेडकर ने उसी धम्म को आधुनिक समाज में लोकतंत्र, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों में रूपांतरित किया।

बुद्ध का दर्शन व्यक्ति की आंतरिक शांति और नैतिक आचरण पर आधारित था, वहीं अंबेडकर का विचार समाज की बाह्य संरचना में समानता और न्याय स्थापित करने पर केंद्रित था। एक ने आत्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाया, तो दूसरे ने सामाजिक मुक्ति का।

दोनों की दृष्टि में मनुष्य ही केंद्र है — उसकी गरिमा, स्वतंत्रता और विवेक सर्वोपरि हैं। बुद्ध ने धर्म को नैतिक आचरण का पर्याय बनाया, और अंबेडकर ने उसे सामाजिक परिवर्तन का

साधन। इस प्रकार, दोनों का दर्शन मानव समाज को शोषण, असमानता और अन्याय से मुक्त करने की दिशा में अग्रसर करता है।

अंततः कहा जा सकता है कि बुद्ध और अंबेडकर का समन्वित चिंतन भारतीय समाज के लिए एक जीवंत प्रेरणा है— जो बताता है कि सच्चा धर्म वह है जो मनुष्य को भय से नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और समता से मुक्त करता है।

संदर्भ सूची

1. आंबेडकर, बी. आर. द बुद्धा एंड हिज धम्म. बॉम्बे म्हााराष्ट्र सरकार, 1957, पृ. 45—121.
2. आंबेडकर, बी. आर. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट. 1936, पृ. 62.
3. आंबेडकर, बी. आर. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकररू राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 11 एवं 17. नई दिल्लीरू भारत सरकार, 1991, पृ. 75, 79, 321.
4. द धम्मपद. पालि टेक्स्ट सोसाइटी संस्करण, लंदन, पृ. 212.
5. मज्जिम निकाय. पालि टेक्स्ट सोसाइटी संस्करण, खंड पृ. 112.
6. संविधान सभा वाद—विवाद, खंड ५, पृ. 979.
7. ओमवेदट, गेल. बुद्धिज्म इन इंडियारू चौलेंजिंग ब्राह्मणिज्म एंड कास्ट. नई दिल्लीरू सेज पब्लिकेशन्स, 2003, पृ. 147.
8. जेलियट, एलेनोर. फ्रॉम अनटचेबल टू दलितरू एसेज ऑन द आंबेडकर मूवमेंट. नई दिल्ली मनोहर पब्लिकेशन्स, 1992, पृ. 98.
9. धर्माचारी लोकमित्र. आंबेडकर एंड बुद्धिज्म. पुणेरू त्रैलोक्य बौद्ध महा